

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद****लखनऊ****धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1015 / 2026**

जतिन गुप्ता

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, लखनऊ

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: सुधीर कुमार, शमशेर यादव जगराना

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 14**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह****अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख (रिकॉर्ड) का भी अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन, आवेदक ने इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाए कि वे आवेदक को सभी पांच मामलों के बदले स्वीय बंधपत्र एवं सिर्फ एक प्रतिभू जमा करने की स्वीकृति प्रदान करें।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक को पांच मामलों में झूठा फंसाया गया है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है :
 - (i). वाद अपराध संख्या 528 / 2024, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2), 317(4), 317(5), 336(2), 345(3), 347(1) के अंतर्गत, थाना ठाकुर गंज, जिला लखनऊ;
 - (ii). वाद अपराध संख्या 442 / 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2) के अंतर्गत, थाना गाजीपुर, जिला लखनऊ;
 - (iii). वाद अपराध संख्या 439 / 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5) के अंतर्गत, थाना चिनहट, जिला लखनऊ;
 - (iv). वाद अपराध संख्या 650 / 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2) के अंतर्गत, थाना पारा, जिला लखनऊ;
 - (v) वाद अपराध संख्या 383 / 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2) के अंतर्गत, थाना संदना, जिला सीतापुर।
4. यह दलील दी गयी है कि आवेदक को विचारण न्यायालय तथा इस न्यायालय ने भी ऊपर बताए गए सभी मामलों में ज़मानत दे दी है, लेकिन सभी पाँचों मामलों में अलग-अलग

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत देना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आवेदक बहुत गरीब व्यक्ति है और वह जमानत पाने के लिए अलग-अलग जमानत का इंतज़ाम नहीं कर पाएगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने हनी निशाद @ मोहम्मद इमरान @ विककी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8914-8915/2018] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है।
6. हालाँकि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रार्थना का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जहां तक प्रतिभूओं को स्वीकार करने का प्रश्न है, यह हमेशा विचारण न्यायालय के विवेकाधिकार एवं संतुष्टि पर निर्भर करता है।
7. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसा लगता है कि आवेदक की एकमात्र परिवेदना यह है कि सभी मामलों में जमानत का आदेश मिलने के बावजूद, वह कारागार से बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसे हर मामले के लिए अलग-अलग प्रतिभू नहीं मिल पा रही है और इसलिए, यह प्रार्थना की गई है कि आवेदक को सभी पांचों मामलों में एक समान प्रतिभू दाखिल करने की अनुमति दी जाए और इस संबंध में विचारण न्यायालय को उपयुक्त निर्देश दिया जाए।
8. प्रतिभू स्वीकार करना तथा उनका सत्यापन करना विचारण न्यायालय का अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में, इसे यह न्यायालय नियंत्रित नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को पहले ही काफी दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि, जहां तक आवेदक की परिवेदना का प्रश्न है, कि वह सभी पांच मामलों के लिए अलग-अलग प्रतिभू का इंतज़ाम करने की स्थिति में नहीं है, तो इस आशंका एवं परिवेदना का उत्तर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441-क / भारतीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 में निहित है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है

:-

"प्रतिभूओं द्वारा घोषणा- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू है, न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा, जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी है तथा उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियां दी जाएंगी।"

9. इस धारा के अवलोकन से पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो किसी अभियुक्त व्यक्ति का प्रतिभू बनना चाहता है, उसे न्यायालय के समक्ष यह बताना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति का वह प्रतिभू है, उसके अलावा वह और कितने अभियुक्तों का प्रतिभू रहा है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441-क / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 486 का ग्रंथन, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक अभियुक्तों के लिए तथा एक से अधिक मामलों में प्रतिभू हो सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए एक से अधिक मामलों में तथा एक से अधिक अभियुक्तों के लिए भी प्रतिभू होने पर कोई रोक नहीं है।
10. हालाँकि जैसा कि पहले बताया गया है, प्रतिभू देने वाले व्यक्ति की हैसियत, सत्यापन एवं सामर्थ्य का आकलन; विचारण न्यायालय हमेशा स्वीकृति देने से पहले करेगा।
11. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अगर वही प्रतिभू विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं और वे अन्यथा सक्षम हैं तथा उनकी हैसियत एवं अन्य विवरण को विधिवत सत्यापित किया गया है, तो विचारण न्यायालय, अपने विवेकाधिकार से, यहां बताए गए सभी मामलों में उन्हें स्वीकार कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. ऊपर बताई गई बातों के साथ, आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

19 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।